



ವಿವರಣೆ

ಮಹಿಳಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರ - 60 1,79,203/-
 ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ - 3,34,960/-
 ಇತರ ವಿವರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 33,500/-

- | | | | |
|----|---------------------|---|------------------------------|
| 1. | ಮಹಿಳಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರ | - | ಮಹಿಳಾ |
| 2. | ಶಾಲೆ | - | ಜಿಲ್ಲಾ |
| 3. | ಇತರ | - | ಸರ್ಕಾರಿ |
| 4. | ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ | - | ಮಹಿಳಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರ 291 ಕೋಟಿ |



ಇತರ



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



- | | | | |
|-----|---------------------|---|---|
| 5. | चपन की ईकाई | - | टेकटेअर |
| 6. | एन्वलि का क्षेत्रफल | - | 0.1256 हेक्टेअर |
| 7. | तहसील की स्थिति | - | मुल्तापुर रोड & अमरशहीब पथ से लगभग 200 मीटर से उत्तरि |
| 8. | सम्पत्ति का प्रकार | - | भूमि |
| 9. | पट्टे की स्थिति | - | नली |
| 10. | रॉयल्टी कुल बाल | - | शुद्ध भी नली है । |

घोड़दो खसरा नं० 591

उत्तर : खसरा नं०-590
 स्थिति : खसरा नं० 592
 भूखण्ड : खसरा

Handwritten signature

Handwritten mark

भारतीय न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

₹. 5000

पाँच हजार रुपये

Rs. 5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



पंजीम : एम॥ नं० 588

बीछरी खसरा नं० 773

- ऊपर : खसरा नं० 715, 771
- बाँधण : खसरा नं० 774
- तुलन : खसरा नं० 772
- पश्चिम : खसरा नं० 775


बीछरी खसरा नं० 775

- ऊपर : खसरा नं० 715
- बाँधण : खसरा नं० 773
- तुलन : खसरा नं० 773, 774

दिनांक



भारतीय गैर न्यायिक



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



पश्चिम : खसरा नं० 776
 नौहत्वी खसरा नं० 1523
 उत्तर : खसरा नं०-1622
 दक्षिण : खसरा नं० 1624
 पूर्व : खसरा नं०-1624
 पश्चिम : खसरा नं०-1621


प्रथम पक्ष श्री राजा-1 : द्वितीय पक्ष श्री राजा-1

निवेदन का विवरण	श्रेणी का विवरण
पत्नी श्री पुत्र श्री निवासी- नगर- श्रीना, परमना	श्री श्री पुत्र श्रीराम निवासी ग्राम निवासी निवासी श्री श्री, लखीम


श्री



भारतीय रिजर्व INDIA NON JUDICIAL



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



5

रजिस्ट्रार : खसरा नं०-776

नीलसो खसरा नं० 1623

- उत्तर : खसरा नं०-1622
- दक्षिण : खसरा नं०-1624
- पूरुब : खसरा नं०-1620
- पश्चिम : खसरा नं०-1621

प्रथम पक्ष की संख्या- 1

द्वितीय पक्ष की संख्या- 1

दिल्ली का विवरण	श्रेणी का विवरण
परिचय पुत्र सना निवासी- गवरा- श्रीन, पररना	बंदिन्द्र पुत्र लखराम निवासी ग्राम मिर्जापुर थिकारी पो० नौबोन, जहसील



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL




उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH




-6-

बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ।	व जिला फतेहपुर।
सिवा राम झां	व्यसमान, कृषि

जहाँ लिखत विलेख परीचीत पुत्र मिया निवासी- मनध परीना, परमाना बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ जिनके अपने विदेवा नाम मया है मन्ध वीरच पुत्र सिवा राम निवासी ग्राम मिलापुर मिटारी पोस्ट बीरगंज, तहसील व जिला फतेहपुर मिले अगे केता कता मया है के मन्ध लिखावित लिखा मया।



INDIA NON JUDICIAL



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



यह कि. वि. वि. भूमि अक्षा संख्या 591 (का 0.025 हे० का पूर्ण भाग व अक्षा संख्या 771 खण्ड 0.025 हे०, अक्षा संख्या 775 खण्ड 0.065 हे०, अक्षा संख्या 1623 खण्ड 0.321 हे० मूल खण्ड 0.311 हे० का 1/3 भाग अर्थात् खण्ड 0.1035 हे० इस प्रकार मूल वि. वि. खण्ड 0.3296 हे० स्थित ग्राम- बरौत, परगना बिगनौर, जिल्ला न. विशा लखनऊ का मारिक, समिल व अधिव. है तथा उपरोक्त सत्यापित वार्षिक खतोनी दम संख्या 00092 व 01135 के अनुसार भूमि वि. वि. के नाम संख्या 100000 नं. का है और वि. वि. के नाम का


के.के.

Handwritten signature and stamp

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500



FIVE HUNDRED
RUPEES

पाँच सौ रुपये

सत्यमेव जयते

Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH




अपने दायित्व उत्तर प्रदेश अधिनियम में दे दिया है। विवेका को पेशी को मजदूरी
आवश्यकता के कारण विवेका अपना सम्पूर्ण हितों देता कि ३४ दिवस
विलेख द्वारा विवेका का एक है विवेका अपने एक सम्पूर्ण भूमि के मालिक,
कामिया व मालिक है एवं बर्तमान समय में जल भूमि कृषि भूमि है और
अन्य भूमि मजदूरी भूमि का अलग नहीं है। यह कि विवेका यह घोषित
करता है कि उपरोक्त वर्णित भूमि एसी उत्तर के गाँव में मुक्त एवं पाठ
व नाक है तथा विवेका ने उसे एक दिवस के पूर्व कहीं बय, बिना किसी
वा अनुबन्धित इत्यादि नहीं किया है। विवेका ने एक भूमि पर भूमि कर

विवेका

या अन्य प्रकार का कोई नया नहीं लिया है। यदि कोई ऐसा नया परिवार
 में निकलता है तो उसके विम्बहार विदेता व उसके परिवारान व विश्व
 उत्तराधिकारी होंगे। उपरोक्त भूमि या उसका कोई भाग किसी न्यायालय या
 मजिस्ट्रेट कार्यालयी के अन्तर्गत रियासत या वस्तु विषय नहीं है, न ही कुछ
 दायित्व है। विदेता व अतया उका भूमि में किसी अन्य व्यक्ति का स्वाम,
 एक या तथा इत्यादि नहीं है, एवं विदेता को उक्त विकल्प अन्तर्गत करने
 का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अतएव उपरोक्त सम्पत्ति के फलस्वरूप पूर्ण
 विकल्प मूल्य रु० 1,79,263/- के अतिरिक्त में निम्नलिखित उपरोक्त भूदा प्राप्त
 विकल्प को इस विकल्प के अन्त में ही पूर्ण अनुपूर्वों में समित विधि के
 अनुसार भुगतान एवं रियासत है एवं निम्नी प्राप्ति को विदेता को
 स्विकार करने है। अतएव उक्त विकल्प उका केंद्र है एवं उपरोक्त
 योग्य भूमि, निम्नलिखित एवं विकल्प विशेष के अन्त में अनुपूर्वों के
 अन्तर्गत दिया गया है। जो अतएव देय दिया है, एवं विदेता ने विकल्पशुद्ध
 भूमि का मोर्चे पर कब्जा केन को दायी 100 दिया गया है। एवं उक्त
 आरम्भ पर विकल्प तथा उसके परिवारान या कोई अधिकार नहीं है।
 विदेता ने विकल्पशुद्ध सम्पत्ति को अपने स्वामित्व के अन्तर्गत अधिकारी के
 साथ पूर्णतया व उमेका के लिए केंद्र को इस्तानाकारण कर दिया है। एवं
 केंद्र विकल्पशुद्ध सम्पत्ति एवं उसके उत्पन्न भाग को अपनी एकलव्य स्वामित्व
 व अधिकार व कब्जे में सम्पत्ति के रूप में प्राप्त एवं उपयोग व उपयोग
 करने। विदेता व उसके परिवारान अपने किसी प्रकार की अज्ञानता या
 नहीं प्राप्त करने एवं न ही कोई मांग कर लेंगे और यदि विकल्पशुद्ध

गैरिद

श्री. अ. प. श्री. श्री.


सम्पत्ति अथवा कोई वाग चिह्नता के सम्बन्ध में नुस्ते के अन्तर्गत या कानूनी शङ्कन या कानूनी नुस्ते के कारण केंद्र या उसके वरिष्ठान निष्कारणमय हस्तादि के कर्मों या अधिकार या अन्त में निकल जाये तो केंद्र उसके वारिष्ठान, निष्कारणमय हस्तादि भी वह एक होगा कि वह अपना स्वयं प्रकृतान पर हस्तों व अन्तों, विवेका की वत्, अन्त सम्पत्ति से वरिष्ठ अधिकार वसूल करे। इस स्थिति में विवेका एवं उसके वरिष्ठान हस्तों व अन्तों देने हेतु बाध्य होगा।

यह कि विवेका यह भी घोषित करना है कि ऊपर भूमि सञ्चालन विभाग अधिनियम, सञ्चालन तथा 3000 अन्तान एवं विवेका परिषद, सञ्चालन तथा अन्य विवेका भी सञ्चालन अथवा गैर सञ्चालन सञ्चालन अधिकारिता नहीं की वत् है और न ही सञ्चालन है।

यह कि केंद्र निष्कारणमय सम्पत्ति की सञ्चालन वरिष्ठ अन्तान अन्तानों में अन्तान नाम दान करा ले तो विवेकाणमय की कोई अन्तान न देवी और यह कि इस विवेका विवेका के पूर्ण का अन्तान कोई अन्तान विवेका वत्त का भाग इस सम्पत्ति पर होगा तो उसके विवेका प्रकृतान व अन्तान वरिष्ठ, विवेका की कोई अन्तान न होगी।

यह कि उपरोक्त भूमि 30- अन्तान अन्तानों के सम्बन्ध अन्तान के अन्तान अन्तान है अन्तान विवेका अन्तान में 11,00,000/- प्रति हेक्टर दिया है विवेका भूमि 0.1006 हेक्टर की अन्तान का 1,13,900/- अन्तान है अन्तान उपरोक्त भूमि में तो अन्तान सञ्चालन 00135 का

विवेका



अथ 0,025 भा है जो कि गिरि विद्या से कम है इसलिए आकाशीय पर
 रू 850/- के हिसाब से 260 वर्गमीटर की गतिमान रू 2,21,000/-
 लेगी है इस प्रकार भूमि की कुल मतिमत रू 3,34,960/- होती है
 चूंकि स्थित कुल भूमि की वास्तविक मूल्य से कम है इसलिए नियमानुसार
 वास्तविक मूल्य पर तो रू 33,500/- का अंतर स्थान अर्पण किया जा छा
 है। रू के अभाव में भूमि कुल के उपयोग के लिए पर्याप्त नहीं जा
 रही है। भूमि में कोई भी इमारत आदि नहीं है तथा किसी प्रकार की
 आवासीय गतिविधियां नहीं चल रही है व कोई नक्कद, जुआ भी नहीं है,
 तथा 260 गीठ के आवासीय में कोई निर्माण नहीं है किसी भूमि किसी
 लिंक मार्ग, सड़क या जनपथीय मार्ग पर स्थित नहीं है। किसी भूमि
 सुल्तानपुर रोड से व अन्य इलाक़े का से लगभग 200 मीटर से अधिक
 दूरी पर स्थित है। विक्रता एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जाति के सदस्य हैं।
 34 विक्रय विज्ञापन के माध्यम से समस्त बात केंद्र द्वारा गहन किया गया
 है।

सिद्धांत यह विक्रय एवं विक्रिता ने घंटा नं. 14 में लिख दिया ताकि
 तत्पश्चात रू और आवश्यकता पड़ने पर कान आये।

भारतीय: सुल्तान विवरण

1. विक्रय की रू 1,79,263/- काय संख्या- S/S 76/77
 दिनांकित 02.07.2007 काय नेशनल बैंक, इलाहाबाद शाखानक
 केना में प्राप्त हुए।

(Handwritten signature)



इस प्रकार विहोला की कुल विक्रम मूल्य 1,79,263/- (अथवा एक लाख अठ्ठासी हजार दो सौ सिराह मात्र) देता से प्राप्त हुए जिसकी जाति विहोला खीमार मन्त्र है तथा इस विहोला को देता से कुछ भी लेना संभव नहीं है।

तथानक

दिनांक 01/07/2007

गयास न्यायाधीश की परामर्श से

1. Subhash Chandra
Deputy District Judge
205/19, Howrah
1-1-07

2. विहोला की परामर्श से /
क्यास न्यायाधीश की परामर्श से
दिनांक 01/07/2007

संयोजक
(विहोला न्यायाधीश)

सिक्किम कोर्ट तथानक

विहोला न्यायाधीश
(विहोला न्यायाधीश)
विहोला

देता
देता

मानविकार्या
(विहोला न्यायाधीश)
एडवोकेट




संख्या

पञ्जाब सरकार

5/5/26

पत्र

0-26



10/10/26

10/10/26

10/10/26

1972/1973 20000000


विशेष

के लिए अंश
के लिए अंश

5000000
के लिए अंश
40
5000000
के लिए अंश



के लिए अंश
के लिए अंश
के लिए अंश
के लिए अंश
के लिए अंश



के लिए अंश
के लिए अंश
के लिए अंश
के लिए अंश

के लिए अंश
के लिए अंश
के लिए अंश
के लिए अंश



के लिए अंश
के लिए अंश
के लिए अंश
के लिए अंश

के लिए अंश
के लिए अंश
के लिए अंश
के लिए अंश

के लिए अंश
के लिए अंश
के लिए अंश
के लिए अंश



के लिए अंश
के लिए अंश
के लिए अंश
के लिए अंश


के लिए अंश
के लिए अंश
के लिए अंश
के लिए अंश

10/10/10


10/10/10 - 10/10/10

10/10/10 - 10/10/10

(10/10/10)



10/10/10



10/10/10


Registration No. 611

Year: 2002

History


City: ...

...
...
...




1623

17/5



17/5

17/5



1623


● रिजर्वेशन अधिनियम-1908 की धारा 32-ए के अनुपालन हेतु पिंगरी प्रिन्सर्स

संग्रहकर्ता/पिन्सर्स का नाम व पता :- पिन्सर्स

जबसे साथ से संग्रहियों के चित्र :- अप्रील, एप्रिल, मई




दोसरे साथ से संग्रहियों के चित्र :-




संग्रहकर्ता/पिन्सर्स का नाम व पता :- पिन्सर्स

जबसे साथ से संग्रहियों के चित्र :-

अप्रील, एप्रिल, मई



दोसरे साथ से संग्रहियों के चित्र :-



संग्रहकर्ता/पिन्सर्स का नाम व पता :- पिन्सर्स

अभ्यास क्रमांक 05/11/2000 को
नामी च डिप्टी 244
पृष्ठ नं. 104 व 220 भा. क्रमांक: 6330
संशोधित किया गया।

एच. के. ए. (अ. प्र.)
राज्य निदेशक (अ. प्र.)
राज्य सरकार
24-12-2000

